न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सीकर

पीठासीन अधिकारीः– जय प्रकाश, आर.ए.एस.

पत्रावली संख्याः– 02/2016/प्रार्थना पत्र 6ए

सरकार जरिये जिला रसद अधिकारी, सीकर

प्रार्थी

बनाम

दिनेश पुत्र दूलाराम सैनी, नरेन्द्र रेस्टोरेन्ट लुहारू बस स्टैण्ड, सीकर

अप्रार्थी

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसीएक्ट 1955 के तहत

निर्णय **दिनांकः–22.11.2019**

जिला रसद अधिकारी, सीकर की ओर से एक आवेदन अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत किया गया। इस आवेदन का संक्षेप सार इस प्रकार है कि दिनांक 08.03.2016 को जिला कलक्टर महोदय द्वारा आकस्मिक भ्रमण/निरीक्षण के दौरान घरलू गैस सिलेण्डर के व्यवसायिक दुरूपयोग पाये जाने पर उनके निर्देशानुसार मय प्रवर्तन स्टाफ कार्यवाही की गई। निरीक्षण के दौरान नरेन्द्र रेस्टोरेन्ट लुहारू बस स्टेण्ड, सीकर पर श्री दिनेश पुत्र दूलाराम द्वारा बीपीसीएल के घरेलू गैस सिलेण्डर संख्या 1616158 से चाय आदि बनाकर व्यवसायिक कार्य किया जाता पाया गया। मौके पर कोई कागजात पेश नही किये तथा कोई संतोषप्रद जवाब नही दिया गया। जिस पर द्रवित पेट्रोलियम गैस आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन आदेश 2000 के उपबंधो का स्पष्ट उल्लंघन पाये जाने पर उक्त गैस सिलेण्डर जिसमें खोलने पर गैस की मात्रा 400 ग्राम थी, को वजह सबूत जब्त सरकार किया गया। जब्तशुदा गैस सिलेण्डर को मौके पर ही श्री वसीम खान पुत्र रफीक खान जाति मुसलमान कम्प्यूटर ऑपरेटर प्रतिनिधि मैसर्स श्री शिव गैस एजेन्सी सीकर को सुरक्षा की दृष्टि से सुपुर्दगी में दिया गया। द्रवित गैस ज्वनशील पदार्थ है, जिसका निस्तारण धारा 6ए (2) ईसी एक्ट के तहत शीघ्र किये जाने के आदेश फरमावे। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए ईसी एक्ट प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त गैस सिलेण्डर को राजसात करने के आदेश फरमावे।

प्रकरण प्राप्त होने पर दर्ज रिजस्टर किया गया एवं अप्रार्थी को नोटिस जारी किया गया। अप्रार्थी स्वयं उपस्थित आया एवं जवाब आवेदन पेश किया। अप्रार्थी ने जवाब आवेदन पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी नरेन्द्र रेस्टोरेन्ट लुहारू बस स्टेण्ड सीकर के नाम से दुकान चलाता है। प्रार्थी की दुकान और निवास स्थान पास–पास ही है तथा दिनांक 10.03.2016 को प्रार्थी का भाई विजय सैनी के नाम से जारी गैस कनेक्शन का गैस सिलेण्डर खाली होने के कारण रिफिल करवाने हेतु दुकान पर लाया गया था। प्रार्थी द्वारा कोई व्यावसायिक कार्य इस गैस सिलेण्डर से नहीं किया है। अतः जवाब आवेदन पेश कर निवेदन है कि प्रार्थी का जब्तशुदा गैस सिलेण्डर वापिस लौटाने की कृपा करें।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब आवेदन का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात में फर्द चैकिंग के मुताबिक जिला कलक्टर महोदय द्वारा प्रातः आकस्मिक सीकर भ्रमण/निरीक्षण के दौरान नरेन्द्र रेस्टोरेन्ट लुहारू बस स्टेण्ड सीकर पर श्री दिनेश सैनी द्वारा बीपीसीएल के घरेलू गैस सिलेण्डर संख्या 1616158 गैस की मात्रा 0.400 कि.ग्रा. का उपयोग चाय नाश्ता आदि बनाने हेतु करते पाये

जाने पर उक्त सिलेण्डर को जब्त किया गया। मौके पर पुछताछ करने पर सिलेण्डर बाबत कोई कागजात पेश नहीं किये गये। उक्तानुसार द्रवित पेट्रोलियम गैस (आपूर्ति एवं वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के उपबंधों का उक्त दुकानदार द्वारा उल्लंघन किया जाना पाये जाने पर उक्त जब्त सिलेण्डर को सुरक्षित रखने हेतु श्री वसीम खान मैसर्स श्री शिव गैस एजेन्सी, सीकर की सुपुर्दगी में दे दिया गया। अप्रार्थी की और से प्रस्तुत जवाब आवेदन के मुताबिक जब्तशुदा सिलेण्डर प्रार्थी के भाई विजय सैनी का होने व प्रार्थी का निवास स्थान व दुकान पास-पास होने से गैस सिलेण्डर भरवाने हेतु प्रार्थी की दुकान पर रख कर चले जाने से जांच टीम द्वारा उसको जब्त कर लिये जाने बाबत अंकित किया हुआ है। अप्रार्थी द्वारा इसके अलावा जब्त शुदा सिलेण्डर के सम्बंध में कोई ठोस दस्तावेज पेश नहीं किया गया जिससे यह साबित किया जा सके कि उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर का उपयोग व्यावसायिक उपयोग में नहीं किया जा रहा था। जब्तशुदा सिलेण्डर में जब्त गैस क्षरित योग्य है। अतः उक्त गैस क्षरित होने व ज्वलनशीन पदार्थ से हादसा होने की आशंका को देखते हुए इसका अन्तरिम निस्तारण किया जाना उचित एवं अति आवश्यक प्रतीत होता है। अतः जिला रसद अधिकारी, सीकर को लिखा जावे कि उक्त जब्तशुदा सिलेण्डर में जब्त गैस मात्रा 0.400 कि.ग्रा. का अन्तरिम निस्तारण नियमानुसार किया जावे एवं जब्तशुदा सिलेण्डर के सम्बंध में अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने को दृष्टिगत रखते हुए अन्तिम निस्तारण तक पूर्व की भांति जब्त रहकर सुरक्षित सुपुर्दगी में ही रहें। जिला रसद अधिकारी जब्तशुदा सिलेण्डर के सम्बंध में अन्य किसी न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन होने पर उक्त न्यायालय के अन्तिम निर्णय के मुताबिक निस्तारण हेतु न्यायालय हाजा को सुचित कर देवें।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2019 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट सीकर

22/11/19

(जय प्रकाश)
अति. जिला कलक्टर, सीकर
अति० जिला कलक्टर, सीकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Prakash Narayan
Date: 2019.11.26 13:32:17 IST
Reason: SelfAttested
Location: